



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क./एफ-169/स्टे.आयु./2022-23/4572

भिलाई, दिनांक 19/12/2022

// संशोधित आदेश //

पूर्व जारी आदेश क./एफ-169/स्टे.आयु./2022-23/4536, भिलाई, दिनांक 28.11.2022 के कण्डिका-2 में उल्लेखित है कि सर्व विभाग प्रमुख, अधीक्षण अभियंता, जोनआयुक्त, सहायक अभियंता, उप अभियंता, सहायक राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक के अलावा शेष कर्मचारियों के नस्तियों स्वतंत्र रूप से अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, वेतन एवं अन्य भत्ते आदि की स्वीकृति अपर आयुक्त नियमानुसार प्रदान करेंगे।

उपरोक्त कण्डिका-2 में आंशिक संशोधन करते हुये सर्व विभाग प्रमुख, अपर आयुक्त, अधीक्षण अभियंता, उपायुक्त, कार्यपालन अभियंता के अलावा शेष अधिकारियों/ कर्मचारियों के नस्तियों स्वतंत्र रूप से अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, वेतन एवं अन्य भत्ते आदि की स्वीकृति अपर आयुक्त नियमानुसार प्रदान करेंगे, शेष कण्डिका यथावत रहेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रोहित व्यास)
मा.प्र.से.

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पु. क./एफ-166/स्टे.आयु./2022-23/4573

भिलाई, दिनांक 19/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/ वाहन/स्टोर्स/ उद्यान/ कम्प्युटर/ भवन संधारण, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. संबंधित विभाग प्रमुख
नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-169/स्टे.आयु./2022-23/ ५३६

भिलाई, दिनांक २८/११/२२

// आदेश //

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) का उपयोग करते हुये निम्नानुसार कार्यवाही हेतु श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त, न.पा.नि. भिलाई को आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है :—

1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भविष्य निधि की अग्रिम राशि की स्वीकृति नियमानुसार दिये जा सकेंगे।
2. सर्व विभाग प्रमुख, अधीक्षण अभियंता, जोनआयुक्त, सहायक अभियंता, उप अभियंता, सहायक राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक के अलावा शेष कर्मचारियों के नस्तियाँ स्वतंत्र रूप से अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, घेतन एवं अन्य भत्ते आदि की स्वीकृति अपर आयुक्त नियमानुसार प्रदान करेंगे।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियमित नियुक्ति उपरान्त सर्विस बुक का प्रमाणीकरण एवं हस्ताक्षर किये जाने, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि हेतु अधिकृत किया जाता है।
4. नगर पालिक निगम भिलाई के सेवानिवृत्त/मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार कल्याण/समूह बीमा दावा भुगतान एवं अंतिम भुगतान के प्रकरणों एवं पास बुक में, बैंक एवं संचालनालय की ओर प्रेषित की जाने वाले पत्र में अपर आयुक्त हस्ताक्षर करेंगे।
5. कर्मचारी/अधिकारी की आकस्मिक मृत्यु उपरान्त अनुग्रह राशि की स्वीकृति कर सकेंगे।
6. सेवानिवृत्त/मृतक अधिकारी – कर्मचारियों के प्रकरणों का नियंत्रण प्राधिकारी उपादान भुगतान अधिनियम 1972 एवं सहायक श्रमायुक्त, दुर्ग के पारित आदेशानुसार उपादान का भुगतान तथा साडा सेवा अवधि के पेंशन अंशदान की राशि स्वीकृत एवं भुमत्तान कर सकेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रोहित व्यास)
भा.प्र.स.

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक २८/११/२२

पृ. क/एफ-166/स्टे.आयु./2022-23/ ५३७

प्रतिलिपि:-

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/वाहन/स्टोर्स/उद्यान/कम्प्युटर/भवन संधारण, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. संबंधित विभाग प्रमुख
7. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

नगर
प्राधिक
निगम
भिलाई